

हरपुन बनाम श्रीरमल  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (जम्मू)

प्रकरण संख्या ..... 19 / 2021

श्री. पद्म शंकर  
आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष  
विवरण

दिनांक  
आज्ञा या  
कार्यवाही

31/07/20

पणावकी चेष्टा। श्री. पद्म शंकर कोटेरिण  
एक एम्प्लॉयड कट निवेदन किया कि प्रमुख  
के तममे कोर्क कार्रवाई नहीं चाहिए।  
पणावकी का तपत्केन किपागणाना उनी  
वकी एम्प्लॉयड का निवेदन सीनर कट  
अर्थका पद्म शंकर इकी स्टट पर खालि  
किया जाता है। पणावकी केसक दुमद  
होकर इज कालर से कम है वाड  
समिल इम्प्लॉयड है।

श्री. पद्म शंकर  
आज्ञा विस्तृत रूप से

उपखण्ड अधिकारी  
पावटा (कोटपूली-बहराड)